बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-551**
05/11/2021

मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की उच्चस्तरीय समीक्षा की

मुख्य बिन्दुः–

- मुख्यमंत्री हाल की घटनाओं पर काफी सख्त, नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिकारियों को दिये टास्क, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें।

- शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं, उन्हें पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई करें।

- मद्य निषेध विभाग एवं पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन बैठक कर इसकी समीक्षा करे।

- हाल के दिनों में जहॉ–जहॉ घटनायें घटी हैं, वहॉ दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो।

- एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिये व्यापक जनजागरूकता अभियान की जरूरत है। प्रमंडल स्तर पर जनजागरूकता अभियान प्रारंभ करने की रूपरेखा तैयार करें। पूर्व की तरह सभी लोगों को एक बार फिर से शपथ दिलानी है।

- शराबबंदी महिलाओं की मॉग पर की गयी है। महिलाओं को फिर से प्रेरित करें ताकि गड़बड़ करने वालों की पहचान हो सके।

- राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी सरकारी आवासों में शराबबंदी के पक्ष में, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ तथा जल–जीवन–हरियाली के संबंध में दीवार लेखन एवं अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार करायें।

- छठ महापर्व के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जायेगी।

पटना, 05 नवम्बर 2021 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में शराबबंदी को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने हाल की घटनाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि शराबबंदी को सरकार ने सख्ती से लागू किया है। जो भी इसे कमजोर करने में लगे हैं, उनकी पहचान कर उन पर कठोर कार्रवाई करें। कोई भी गड़बड़ करने वाला किसी भी स्थिति में बचे नहीं। मद्य निषेध विभाग एवं पुलिस मुख्यालय प्रतिदिन बैठक कर इसकी समीक्षा करे। हाल के दिनों में जहॉ–जहॉ घटनायें घटी हैं, वहॉ दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने के लिये व्यापक जन जागरूकता अभियान की जरूरत है। प्रमंडल स्तर पर जनजागरूकता अभियान प्रारंभ करने की रूपरेखा तैयार करें। पूर्व की तरह सभी लोगों को एक बार फिर से शपथ दिलानी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मॉग पर की गयी है। महिलाओं को फिर से प्रेरित करें ताकि गड़बड़ करने वालों की पहचान हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों एवं सभी सरकारी आवासों में शराबबंदी के पक्ष में, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ तथा जल–जीवन–हरियाली के संबंध में दीवार लेखन एवं अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार करायें। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जायेगी।

बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री श्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, पुलिस महानिदेशक श्री एस0के0 सिंघल, गृह–सह–मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार उपस्थित थे।

******